"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2012—श्रावण 12, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2012

अधिसूचना.

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उपखंड (2) के अंतर्गत श्री रमेशचन्द्र शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर, 62 वर्ष आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 31-08-2012 को (अपरान्ह) अपने पद से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक, दिनांक 03-08-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 3rd August 2012

NOTIFICATION

No. F 6-24/2011/1/One.—Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India Shri Ramesh Chandra Sharma, Member, Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur shall cease to hold the office on the afternoon of 31-08-2012 on completion of the age of 62 years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.